भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 791
दिनांक 26 जुलाई, 2023 को उत्तर के लिए

मिशन वात्सल्य योजना के तहत आर्थिक मदद

791. श्री कार्तिकेय शर्मा:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तस्करी की शिकार महिलाओं के लिए सुरक्षा और पुनर्वास केंद्रों की स्थापना के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में राज्यों और संघ-राज्य क्षेत्रों को धन आबंटित करने और वितरित करने की प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;
(ख) तस्करी की शिकार हुई और बचाई गई बालिकाओं का पुनर्वास और आर्थिक मदद किस प्रकार किया जाएगा, उस प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है जिसके द्वारा उन्हें बाल कल्याण केंद्र के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और मिशन वात्सल्य योजना के तहत आर्थिक मदद के लिए उपयुक्त घोषित किया जाएगा; और
(ग) किसी बालिका को आर्थिक मदद के लिए उपयुक्त घोषित किए जाने के बाद राज्यों की क्या जिम्मेदारियां हैं, इस मिशन के तहत बच्चों की सहायता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों द्वारा किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा क्या है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मिशन शक्ति को लागू कर रहा है जिसके तहत कठिन परिस्थितियों का सामना करने वाली महिलाओं के लिए स्वाधार गृह और दुर्व्यापार की रोकथाम के लिए उज्ज्वला गृह को विलय कर दिया गया है और इसका नाम बदलकर शक्ति सदन कर दिया गया है जो एक एकीकृत राहत और पुनर्वास गृह है। इसका उद्देश्य संकटपूर्ण परिस्थितियों और कठिन परिस्थितियों का सामना करने वाली महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और सक्षम वातावरण बनाना है। शक्ति सदन एक मांग आधारित केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसके तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आवश्यकता और जरुरत के अनुसार योजना के दिशानिर्देशों के अनुरूप निधिया जारी की जाती हैं।

(ख) & (ग) : सरकार किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम) को प्रशासित कर रही है, जो विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों और देखरेख और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों (सीएनसीपी) के लिए प्राथमिक कानून है। जेजे अधिनियम की धारा 2 (14) (ix) के अनुसार, जो बालक असुरक्षित पाया जाता है और उसे मादक द्रव्य के दुरुपयोग या अवैध व्यापार में शामिल किए जाने की संभावना है, वह "देखरेख और सुरक्षा की आवश्यकता वाला बालक" है। जेजे अधिनियम इन बच्चों को संस्थागत और गैर-संस्थागत देखरेख प्रदान करने के लिए सेवा प्रदायगी संरचनाओं के एक सुरक्षा आवरण हेतु अधिदेश देता है। इस अधिनियम के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों की है। इसके अलावा, जेजे अधिनियम, 2015 (धारा 27-30) के तहत, बाल कल्याण समितियों को देखरेख और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बालकों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए उनके संबंध में निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। उन्हें सीसीआई के कामकाज की निगरानी करने का भी अधिदेश दिया गया है। किशोर न्याय (बालक की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2 (58) के अनुसार, प्रवर्तकता को "बालक की चिकित्सीय, शैक्षिक और विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए परिवारों को वित्तीय या अन्यथा अनुपूरक सहायता के उपबंध" के रूप में परिभाषित किया गया है।

प्रवर्तकता कार्यक्रम के तहत, मिशन वात्सल्य योजना, देखरेख या सुरक्षा की आवश्यकता वाले जैविक परिवारों या संयुक्त परिवारों के बालकों की पर्याप्त देखरेख के लिए सहायता प्रदान करती है। यह एक सशर्त सहायता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चों को विस्थापन के बिना समुदाय में अपने सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में रहने और बढ़ने का अवसर मिले। किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) मॉडल नियम, 2016 (2022 में यथा संशोधित) के नियम 24 में प्रवर्तकता के तहत बच्चों को कवर करने के लिए कार्यक्रम तैयार करने हेतु राज्य सरकारों के लिए प्रावधान है।

इसके अलावा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे बच्चों की देखरेख, संरक्षण, पुनर्वास और पुन:एकीकरण के लिए मिशन वात्सल्य स्कीम का कार्यान्वन कर रहा है। मिशन वात्सल्य स्कीम के तहत, अन्य बातों के साथ-साथ कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे बच्चों की स्थिति का विश्लेषण करने तथा विभिन्न प्रकार की बाल देखरेख संस्थाओं की स्थापना और अनुरक्षण तथा प्रवर्तकता सहित गैर-संस्थागत देखरेख के लिए निधियों हेतु राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को वित्तीय सहायता दी जाती है। मिशन वात्सल्य योजना के अनुसार, राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को प्रवर्तकता (केवल निवारक सेटिंग्स के लिए) और (फ़ॉस्टर) पालक देखरेख निधि की समीक्षा और मंजूरी देने के लिए प्रत्येक जिले में जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक प्रवर्तकता और (फ़ॉस्टर) पालक देखरेख अनुमोदन समिति का गठन करना होगा।
